रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1972/चैत्र 14, 1894
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1972/CHAITRA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd April 1972

S.O. 256(E)/15/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that there have been instances in which it has been found that the industrial undertakings known as Messrs Macneil and Barry, Calcutta and Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta are being managed in a manner highly detrimental to the industries in which they are engaged and to the public interest and their resources are being dissipated.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 5175/15/IDRA/71 dated the 16th November, 1971, the Central Government hereby appoints, for the purpose of full and complete investigation into the circumstances leading to the mismanagement of the said industrial undertakings, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri S. Sounderarajan, Managing Director, Garden Reach Workshop Limited, Calcutta-24.

Members

2. Shri P. K. Malik, Regional Director, Company Law Board, Naraini Building, 2nd Floor, 27, Brabourne Road, Calcutta.
3. Shri F. V. Badami, Manager, Indian Investment Centre, (Entrepreneurial Guidance Bureau) 19, Netaji Subhas Road, National & Grindleys Bank Building, 2nd Floor, Calcutta-1.

[No. F. 9(30)/LP/71.]

S. K. SEHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1972

का० आ० 256(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे दृष्टांत मिले हैं जिस में यह पाया गया है कि मै० मैकनेल एण्ड बैरी, कलकत्ता तथा मै० कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो कि उद्योगों जिसमें ये रत हैं तथा जन-हित के लिये बहुत ही हानिकारक हैं और उनके साधनों का अपव्यय किया जा रहा है ।

अत:, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 5175/15/आई० डी० आर० ए०/71, दिनांक 16 नवम्बर, 1971 का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध की परिस्थितियों की पूर्ण और विस्तृत रूप से जांच करने के लिये एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	श्री एस० सौन्दरराजन, प्रबन्ध निदेशक, गार्डन रीच वर्कशाप लि०, कलकत्ता–24 ।	अध्यक्ष
(2)	श्री पी० के० मलिक, क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी ला बोर्ड, नारायणी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 27 ब्रेबोन रोड, कलकत्ता ।	सदस्य
(3)	श्री एफ० वी० बादामी, प्रबन्धक, इण्डियन इनवेस्टमेंट सेंटर, (इंटर-प्रेन्योरियल गाइडंस ब्यूरो), नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, कलकत्ता–1 ।	सदस्य

[सं० एफ० 9(30)/एल० पी०/71]

एस० के० सहगल संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972